बैठक का कार्यवाही विवरण

26 जनवरी, 2014 (गणतंत्र दिवस समारोह–2014) के कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श करने हेतु श्री राकेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेन्स हॉल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में दिनांक 18.12.2013 को दोपहर 12.00 बजे मीटिंग सम्पन्न हुई।

मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। मीटिंग में निम्न निर्णय लिये गये:–

गणतंत्र दिवस समारोह–2014 का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पर दिनांक 26 जनवरी, 2014 को प्रातः 9.30 बजे आयोजित होगा।

1. परेड का कार्यक्रम

आगामी गणतंत्र दिवस समारोह–2014 में परेड में विभिन्न यूनिटें निम्न प्रकार भाग लेंगी, भाग लेने वाली यूनिट व टुकडियों की संख्या :–

1. आर.ए.सी.	एक प्लाटून
2. हाड़ी रानी बटालियन	एक प्लाटून
3. जयपुर आयुक्तालय	एक प्लाटून
4. यातायात पुलिस	एक प्लाटून
5. जी.आर.पी., अजमेर	एक प्लाटून
6. कारागार	एक प्लाटून
7. बोर्डर होमगार्ड	एक प्लाटून
8. होमगार्ड पुरुष	एक प्लाटून
9. होमगार्ड महिला	एक प्लाटून
10. एन.सी.सी. (आर्मी विंग)	एक प्लाटून
11. एन.सी.सी. (एयर विंग)	एक प्लाटून
12. एन.सी.सी. (गर्ल्स विंग)	एक प्लाटून
13. भूतपूर्व सैनिक	एक प्लाटून
14. स्काउट–गाईड	दो प्लाटून
15. सेंट एंजिला सोफिया गर्ल्स स्कूल	एक प्लाटून
16. महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल	एक प्लाटून
17. राज्य आपदा प्रतिशाद दल (State Disaster Response Force)	एक प्लाटून

परेड की कमान पुलिस मुख्यालय द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा सम्भाली जायेगी।

2. समारोह में भाग लेने वाले बैण्ड

समारोह में निम्नलिखित बैण्ड भाग लेंगे:–

1. आर.ए.सी.–पुलिस बैण्ड
2. एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल बैण्ड
3. कारागार बैण्ड
4. सेन्ट्रल पुलिस बैण्ड

पुलिस विभाग के द्वारा अन्तिम पूर्वाभ्यास व मुख्य समारोह के दौरान परेड निरीक्षण हेतु दो खुली जिप्सी की व्यवस्था की जावेगी।

3. <u>छात्र– छात्राओं द्वारा पूर्वाभ्यास</u>

मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कोरियोग्राफर एवं शिक्षा विभाग के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाकर इसे अन्तिम रूप दिया जावेगा। उसी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा पूर्वाभ्यास सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित इन्डोर स्टेडियम/हैंडबॉल मैदान पर दिनांक 7.1.2014 से दिनांक 17.1.2014 तक किया जावेगा। उक्त पूर्वाभ्यास प्रातः 8.30 बजे से प्रारम्भ होगा। पूर्वाभ्यास में पूर्व की भांति विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1000 छात्र–छात्राएं भाग लेंगे। पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को कदवार खडा करने की व्यवस्था की जाएगी। छात्र–छात्राओं के ड्रेस व टर्नआउट भी भली–भांति चैक कर लिया जाए। छात्र–छात्राओं के लिए पूर्वाभ्यास के समय दो मोबाईल शौचालय, नगर निगम, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पूर्वाभ्यास/संयुक्त पूर्वाभ्यास के दौरान नाश्ते की व्यवस्था की जावेगी।

4. <u>संयुक्त पूर्वाभ्यास इत्यादि</u>

मीटिंग में निर्णय लिया गया कि परेड, अनुमोदित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त पूर्वाभ्यास सवाई मानसिंह स्टेडियम पर दिनांक 18.1.2014 से 22.1.2014 तक प्रातः 8.30 बजे से प्रारम्भ होगा। दिनांक 23.1.2014 को होने वाला अंतिम पूर्वाभ्यास प्रातः 9.30 बजे प्रारम्भ होगा जो कि दिनांक 26.1.2014 को निर्धारित मुख्य समारोह की भांति किया जायेगा जिसमें झण्डा फहराने, सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण, आदि समस्त कार्यक्रम होंगे व कार्यक्रम की उदघोषणा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा मनोनीत दो उदघोषकों द्वारा की जावेगी।

पूर्वाभ्यास एवं संयुक्त पूर्वाभ्यास के समय सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु दो आरक्षी नियमित रुप से ड्यूटी पर रहेंगे। पूर्वाभ्यास के समय दो मेडिकल टीम मय औषधि के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये जाएंगे।

5. <u>प्रभात फेरी का आयोजन</u>

शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व की भांति दिनांक 26.1.2014 को लगभग 2,000 छात्रों की शहर के विभिन्न स्थानों से प्रातः 7.00 बजे से प्रभात फेरी जुलूस बनाकर निकाली जावेगी जो प्रातः 8.45 बजे से 9.00 बजे तक स्टेडियम ग्राउण्ड पर पहुँच जावें। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चो को प्रभात फेरी में झण्डियां उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु राशि सा.प्र.वि. द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। निजी विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने हेतु व्यवस्था की जावेगी।

6. <u>ध्वनि प्रसार यंत्र की व्यवस्था</u>

पूर्वाभ्यास, संयुक्त पूर्वाभ्यास, फुल ड्रेस रिहर्सल एवं मुख्य समारोह के लिए ध्वनि प्रसार एवं विस्तार संबंधी समुचित व्यवस्था अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड–द्वितीय तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से कराई जावेगी।

7. <u>प्राचार्या, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर</u>

राष्ट्रगान हेतु प्राचार्या, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर द्वारा समुचित व्यवस्था की जावेगी। वाहन की व्यवस्था प्राचार्या, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर को स्वयं करनी होगी, जिसका व्यय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रगान में छात्र–छात्राओं की संख्या 20–25 तक रखी जावे।

8. <u>परिवहन व्यवस्था</u>

पूर्वाभ्यास, संयुक्त पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह के समय 24 वाहनों की आवश्यकता रहेगी जिसकी व्यवस्था पूर्व की भांति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की जायेगी। ये वाहन समारोह में भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं, एन.सी.सी. कैडेटों, गृह–रक्षा दल, भूतपूर्व सैनिकों, बालचर (स्काउट) गाईड, एम.जी.डी.

गर्ल्स पब्लिक स्कूल एवं सेंट एंजिला गर्ल्स हायर सैकेण्ड्री स्कूल की छात्राओं / अन्य परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों को पूर्वाभ्यास दिनांक 7.1.2014 से 17.1.2014, संयुक्त पूर्वाभ्यास दिनांक 18.1.2014 से 22.1.2014, अन्तिम पूर्वाभ्यास दिनांक 23.1.2014 तथा मुख्य समारोह दिनांक 26.1.2014 को लाने ले जाने के उपयोग में आयेंगे। वाहनों के सम्बन्ध में परिवहन निगम, जयपुर को अलग से लिखित में सूचना भेज दी जायेगी।

मीटिंग में निर्णय लिया गया कि विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क करने व छात्र–छात्राओं के सामूहिक कार्यक्रम की तैयारी करने हेतु उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक), जयपुर सम्भाग, जयपुर को एक वाहन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा अधिग्रहित कर दिनांक 7.1.2014 से समारोह समाप्ति तक के लिये उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका फ्यूल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर से उपलब्ध कराया जायेगा। जिन बसों को लगाया जावेगा उनके चालक व परिचालक की ड्यूटी के समय तथा परिवहन निगम अधिकारी वाहनों को ठीक समय यथा स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे तथा इस कार्य की देखभाल के लिये निगम के निरीक्षक की ड्यूटी भी लगाई जावेगी। परिवहन निगम से बसों की व्यवस्था से संबंधित सम्पूर्ण जिम्मेदारी अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर की होगी। किराये के भुगतान की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जावेगी।

परिवहन व्यवस्था के संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मनोनीत/श्री कमल किशोर पारीक जोनल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सिंधी कैम्प, जयपुर से फोन नं. (कार्यालय) 2207902 एवं मोबाईल नं0 9549653247 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, वे इस व्यवस्था के नोडल ऑफिसर होंगे।

9. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाने वाली व्यवस्था

सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7.1.2014 से 22.1.2014 तक होने वाले पूर्वाभ्यास/संयुक्त पूर्वाभ्यास एवं 23.1.2014 को अन्तिम पूर्वाभ्यास (फुल ड्रेस रिहर्सल) और दिनांक 26.1.2014 मुख्य समारोह हेतु स्टेडियम ग्राउण्ड के अंदर व बाहर बेरीकेटिंग, परेड मैदान की सफाई कराने, अस्थाई मूत्रालय स्थापित कराने, स्टेडियम के अंदर व बाहर पार्किंग स्थल पर लाईटिंग प्वाईन्ट लगवाना, शामियाना, दरियां, कुर्सियां एवं सोफे (एक तरह के) आदि की समुचित व्यवस्था अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. निर्माण खण्ड, जयपुर, जिला पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) तथा पुलिस उपायुक्त (यातायात) से सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्था करायेंगे। टैण्ट, शामियाना एवं मुख्य मंच/दर्शक दीर्घाओं की स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी सुनिश्चित की जायेगी। पूर्वाभ्यास स्थल की साफ–सफाई, घास कटिंग आदि कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। बेरीकेट्स, समारोह सम्पन्न होने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र हटा दिये जाएं।

सवाई मानसिंह स्टेडियम ग्राउण्ड पर परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, स्टेडियम, जयपुर या उनके प्रतिनिधि एवं अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., निर्माण खण्ड, जयपुर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उपलब्ध रहेंगे, जिससे पूर्वाभ्यास के दौरान आने वाली कठिनाइयों का तुरन्त निराकरण किया जा सके।

10. अस्थाई रोशनी की व्यवस्था

सा.नि.वि. विद्युत खण्ड–द्वितीय द्वारा शासन सचिवालय, एलबर्ट हाल (म्यूजियम), राजस्थान विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, अमर जवान ज्योति, मुख्यमंत्री निवास, राजभवन व सवाई मानसिंह स्टेडियम एवं

पुलिस आयुक्त भवन पर 26 जनवरी 2014 की रात्रि को रोशनी की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु तकमीना प्राप्त होने पर निर्णय पृथक से किया जावेगा। शहर के मुख्य द्वारों पर रोशनी व्यवस्था 26 जनवरी 2014 की रात्रि को नगर निगम जयपुर द्वारा की जायेगी।

मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि अम्बेडकर सर्किल, स्टेच्यू सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित महात्मा गांधी सर्किल व जे.डी.ए. सर्किल पर दिनांक 26 जनवरी 2014 की रात्रि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रोशनी की व्यवस्था की जावेगी।

11. झण्डा फहराने एवं परेड मैदान की मार्किंग

संयुक्त पूर्वाभ्यास, अंतिम पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह के अवसर पर झण्डा फहराने तथा परेड ग्राउण्ड की मार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था जिला पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर द्वारा कराई जावेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मैदान में मार्किंग हेतु चूने का प्रयोग नहीं किया जाए अपितु इसके स्थान पर प्लास्टिक का मेटेरियल प्रयोग में लिया जावे। उक्त मेटेरियल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग आवश्यकतानुसार प्रतिदिन मैदान की मार्किंग करने वाली पार्टी पूर्व की भांति उपलब्ध करायेंगे। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) मार्किंग पार्टी को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित सामग्री रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर से पूर्व की भांति उपलब्ध करायेंगे तथा आर.आई., रिजर्व पुलिस लाईन को निर्धारित समय में तत्संबंधी समस्त व्यवस्था समय से पूर्व करने के निर्देश जारी करेंगे। परेड प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिदिन आर. आई. रिजर्व पुलिस लाईन सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पर उपस्थित होकर वांछित प्रबंधों के बारे में आश्वस्त हो लेंगे। संयुक्त पूर्वाभ्यास के समय वे स्टेडियम पर ही उपलब्ध रहेंगे। इस बात की भी समुचित व्यवस्था की जाए कि राजमार्गों पर झण्डे सुव्यवस्थित ढंग से लगाये जावें। इस संबंध में सा.नि.वि. द्वारा फ्लेग कोड की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएं। स्टेच्यू सर्किल से राजस्थान विधानसभा भवन तक के मार्ग, जनपथ पर पूर्वानुसार झण्डे लगाने की व्यवस्था की जाए। सा.नि.वि. द्वारा जो झण्डे व बैनर लगाये जाएं, वे खराब नहीं होने चाहिए।

12. चिकित्सा व्यवस्था

गणतंत्र दिवस समारोह–2014 के संबंध में सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित इन्डोर स्टेडियम/हैडबॉल मैदान में पूर्वाभ्यास दिनांक 7.1.2014 से 17.1.2014 तक व सवाई मानसिह स्टेडियम पर दिनांक 18.1.2014 से 22.1.2014 तक संयुक्त पूर्वाभ्यास होगा, दिनांक 23.1.2014 को अन्तिम पूर्वाभ्यास तथा दिनांक 26.1.2014 को मुख्य समारोह होगा। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रथम, जयपुर के द्वारा दो चिकित्सा वाहन मय डॉक्टर के आवश्यक प्राथमिक उपचार की दवाओं व सहायक स्टाफ के परेड के दौरान उपलब्ध करायेंगे।

अन्तिम पूर्वाभ्यास 23.1.2014 एवं मुख्य समारोह दिनांक 26.1.2014 के दिन अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा एक एम्बूलेंस मय डॉक्टर व सहायक स्टाफ मय औषधि के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर गणमान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी। टीम के सुरक्षा प्रवेश पत्र भी दिनांक 20.1.2014 से पूर्व आवश्यक रूप से अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा प्राप्त कर लिये जावें। उक्त टीम के बैठने की व्यवस्था मुख्य भवन में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये कमरे में की जायेगी।

13. प्रवेश पत्रों के संबंध में

सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रवेश द्वारों पर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी व अन्य स्थानों पर तथा प्रवेश द्वारों पर प्रवेश नियंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिला प्रशासन सामान्य जनता को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाकर स्टेडियम में उपस्थित होने हेतु निवेदन किया जावेगा। जयपुर स्थित सभी सामाजिक प्रतिष्ठानों से एवं गैर सरकारी संगठनों से भी अधिक से अधिक लोगों को उक्त समारोह में सम्मिलित होने बाबत् निवेदन किया जावेगा। सुरक्षा प्रवेश–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) जयपुर को

5 जनवरी 2014 से पूर्व भिजवाएंगे तथा दिनांक 10.1.2014 के पश्चात् सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर स्थित पुलिस विभाग के कैम्प कार्यालय से सीधे प्राप्त किये जायेंगे। समारोह के अवसर पर व्यवस्था हेतु निर्देशित किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग की सूची अनुसार उपायुक्त आरक्षी (सुरक्षा) द्वारा सुरक्षा प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे। समारोह के लिए ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन स्टेडियम के उत्तरी/दक्षिणी द्वार से प्रवेश करेंगें।

14. कार पार्किंग व्यवस्था

जिला पुलिस उपायुक्त(यातायात) के निर्देशानुसार सा.नि.वि. द्वारा कार पार्किंग एवं बेरीकेटिंग आदि की व्यवस्था की जायेगी। वी.आई.पी. कारों को बुलाने के लिए माईक लगाने की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। आपरेट करने की व्यवस्था यातायात पुलिस द्वारा की जायेगी। पार्किंग से गाडी नम्बर कॉल करने पर ही पार्किंग से वाहन बाहर लगाया जाये। अतिरिक्त मुख्य सचिव व महानिदेशक, पुलिस तथा प्रोटोकॉल में इनसे वरिष्ठ महानुभावों के वाहनों हेतु पृथक से व्यवस्था की जावे। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हेतु पार्किंग का पृथक ब्लॉक रहेगा। प्रमुख शासन सचिव व समकक्ष अधिकारीगणों का पृथक पॉर्किंग ब्लॉक रहेगा। अतिथि एवं अन्य अधिकारीगणों का पृथक ब्लॉक बनाया जावें। यातायात पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

15. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

गणतंत्र दिवस समारोह–2014 कार्यक्रम के उद्घोषणा की व्यवस्था सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा करायी जायेगी। कार्यक्रम में कम से कम दो उद्घोषक नियुक्त किये जावें तथा टीवी कवरेज व्यवस्था एवं समाचार पत्र में आमत्रंण पत्र का विज्ञापन देने की व्यवस्था एवं महामहिम राज्यपाल महोदया का संदेश तैयार करवाना है। लाईव टेलीकास्ट हेतु गत समारोह की भॉति सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक व्यवस्था करवाई जावेगी।

16. सैनिक कल्याण विभाग

सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों की टुकडी को समारोह में सम्मिलित किया जाएगा और इसका स्थान (खडे होने का) एन.सी.सी. के पहले ही रहेगा। जहा तक भुगतान/व्यय (ड्रेसेज इत्यादि) के लिए वे अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कराएंगे।

17. उद्यान विभाग

उद्यान विभाग सवाई मानसिंह स्टेडियम पर गणमान्य व्यक्ति जहां बैठते हैं, उस स्थान पर तथा अन्य स्थानों पर अच्छे फूलों के 50 गमले तथा पौधे रखने की कार्यवाही करेगा।

18. पानी पीने की व्यवस्था

पूर्वाभ्यास के समय पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जावेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के गेट दिनांक 7.1.2014 से 17.1.2014 तक प्रातः7.30 बजे तथा 18.1.2014 से 22.1.2014 व 23.1.2014 एवं 26.1.2014 को 7.30 बजे द्वार खुलवाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

अन्तिम पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह के अवसर पर डायस पर पानी (मिनरल वाटर) की व्यवस्था आरटीडीसी द्वारा की जावेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के लिये पानी (मिनरल वाटर) व्यवस्था सर्किट हाउस के द्वारा तथा अन्य स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी।

19. नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्था

सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर, जयपुर में दिनांक 7.1.2014 से 26.1.2014 तक साफ–सफाई एवं फायर ब्रिगेड आदि नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा उचित स्थान पर यथा समय मोबाईल टायलेट वेन खड़ी करने की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की जावेगी। फायर ब्रिगेड पूर्व की भांति नागरिक सुरक्षा विभाग एवं नगर निगम द्वारा समान रूप से उपलब्ध कराई जावेगी।

20. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा की जाने वाली व्यवस्था

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा स्टेडियम की घास कटवाने, मैदान साफ कराने की व्यवस्था करवाई जावेगी तथा विभाग के प्रतिनिधियों से भी पूर्वाभ्यास, संयुक्त पूर्वाभ्यास, अन्तिम पूर्वाभ्यास व मुख्य समारोह के समय उपस्थित रहकर कार्यक्रम में सहयोग देने की अपेक्षा की गई। पूर्वाभ्यास, संयुक्त पूर्वाभ्यास, अन्तिम पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह के समय प्रातः 7.30 बजे स्टेडियम के द्वार खुलवाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्टेडियम में एक कमरा शिक्षा विभाग को सामान रखने हेतु, एक कमरा पुलिस कन्ट्रोल रुम के लिए एवं एक कमरा मेडीकल टीम के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा। राजस्थान क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा गत समारोह की भांति इण्डोर स्टेडियम एवं हैंडबाल मैदान पर पूर्वाभ्यास के लिए उपलब्ध करवाया जावेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के गेट दिनांक 7.1.2014 से 26.1.2014 तक प्रातः 7.30 बजे खुलवाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि इण्डोर स्टेडियम प्रातः 7.30 बजे खुल जावे। शिक्षा विभाग को उनकी विभागीय सामग्री सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध कमरों को समारोह समाप्ति के दो दिवस अतिरिक्त रखने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मुख्य समारोह में पधारने वाले वी.आई.पी. अतिथियों हेतु अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के कार्यालय में बने टॉयलेट खुले रखे जाकर उनकी आवश्यक साफ सफाई सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा जयपुर नगर निगम से समन्वय स्थापित कर करायी जावेगी। सचिव, राजस्थान क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा सभी शौचालय की साफ–सफाई व मेन्टीनेंस की समुचित व्यवस्था करवायी जाएगी।

21. सुरक्षा व्यवस्था

मीटिंग में मुख्य समारोह के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया :–

1. स्टेडियम में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र बनाने का कार्य दिनांक 10.1.2014 से आरम्भ किया जायेगा। संबंधित विभाग अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सूची दिनांक 5.1.2014 तक अवश्यमेव अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, इंटेलीजेन्स के कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें जिससे जाँच कर यथासमय सुरक्षा पास जारी किये जा सकें।
2. सा.नि.वि. स्टेडियम में टेंट, कुर्सियां, सोफे लगाने हेतु स्थानीय श्रमिक उपलब्ध करायें जिससे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पहचान की जा सके।
3. सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम के बाहर पुलिस विभाग के चाहेनुसार लाईटों की व्यवस्था सा.नि.वि. द्वारा की जायेगी। स्टेडियम के अन्दर फ्लड लाईटों की व्यवस्था की जावेगी।
4. सा.नि.वि. स्टेडियम में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दिनांक 20.1.2014 तक की शाम को स्टेडियम पुलिस विभाग को सुपुर्द कर देंगे। इसके बाद विस्फोटक निरीक्षक जाँच होने पर किसी को भी स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केवल विशेष सुरक्षा प्रवेश पत्र धारी व्यक्ति ही स्टेडियम में प्रवेश पा सकेंगे।
5. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद स्टेडियम, जयपुर में स्थित सभी होस्टलों में रह रहे छात्रों को दिनांक 20.1.2014 तक स्टेडियम के बाहर स्थानान्तरित कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया।
6. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम की स्थापना हेतु दिनांक 10.1.2014 से सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में एक कमरा पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिया जायेगा।

7. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग द्वारा एक अस्थायी टेलीफोन दिनांक 10.1.2014 से समारोह के समाप्ति तक के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलीजेन्स) द्वारा स्टेडियम में प्रवेश हेतु पूर्व भांति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ड्यूटी हेतु नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सुरक्षा प्रवेश पत्र मुद्रित करवाए जाकर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
9. पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा अंतिम पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह हेतु जैमर व्यवस्था करवायी जाएगी।

22. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

आमंत्रण प्रवेश–पत्र व फोल्डर तथा प्रमाण–पत्र पेपर का जी.ए.डी. से अनुमोदन करवाना व आमंत्रण प्रवेश पत्र, कार्यक्रम का फोल्डर व छात्र–छात्राओं को दिए जाने वाले प्रमाण–पत्रों को छपवाने की व्यवस्था मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा कराई जाएगी।

सभी विभागों से यह भी अपेक्षा है कि वे समारोह की समुचित व्यवस्था हेतु समन्वय बनाए रखने बाबत नोडल अधिकारी मनोनीत कर उनका नाम, पद नाम व मोबाइल/दूरभाष संख्या से भी सामान्य प्रशासन विभाग को फैक्स संख्या 0141–5116626 पर अवगत करावें।

अन्त में मीटिंग सधन्यवाद समाप्त हुई।

****

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:प.24(7)साप्र/2/2013 — जयपुर, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर लेख है कि कार्यवाही विवरण में अंकित निर्णयों की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2 महानिदेशक पुलिस, जेल, राजस्थान, जयपुर।
3 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलीजेंस), राजस्थान, जयपुर ।
4 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन (पुलिस मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
5 आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
6 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
7 महानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8 कमाण्डेण्ट–द्वितीय, आर.ए.सी., अमर निवास, कोटा।
9 जिला कलेक्टर, जयपुर ।
10 अतिरिक्त जिला कलेक्टर–तृतीय, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11 पुलिस आयुक्त, जयपुर।
12 सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।—
13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
14 उप सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
15 संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16 डिप्टी चीफ प्रोटोकोल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

17 वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (पुलिस/सुरक्षा) विभाग, जयपुर।
18 शासन उप सचिव, युवा एवं खेल विभाग, जयपुर।
19 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
20 अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, जयपुर।
21 सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
22 पुलिस उपायुक्त, (दक्षिण)/सुरक्षा/यातायात/मुख्यालय, जयपुर।
23 पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
24 कमाण्डेंट, आर.ए.सी. चौथी बटालियन, चैनपुरा, जयपुर।
25 कमाण्डेंट, आर.ए.सी. पांचवी बटालियन, घाटगेट, जयपुर।
26 कंट्रोलर, स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
27 निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
28 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
29 प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
30 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–प्रथम, जयपुर।
31 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
32 निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर।
33 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
34 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
35 प्रबंध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
36 प्रबंधक, सर्किट हाउस, जयपुर।
37 उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, जयपुर।
38 मुख्य अभियन्ता (भवन/पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
39 अधिशाषी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परि[illegible] मार्ग, जयपुर।
40 जोनल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सिन्धी कैम्प जयपुर
41 अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, जयपुर।
42 अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत–द्वितीय, जयपुर।
43 उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक), जयपुर सम्भाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
44 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम, शिक्षा संकुल, जयपुर।
45 प्राचार्या, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
46 उद्यान विज्ञ/अधीक्षक, रामनिवास बाग, जयपुर।
47 पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
48 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड–द्वितीय, शासन सचिवालय, जयपुर।
49 वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
50 प्राचार्या, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, जयपुर।
51 प्राचार्या, सेंट एंजिला सोफिया गर्ल्स स्कूल, जयपुर।
52 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण उप खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
53 अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
54 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.प्र.वि.।
55 रक्षित पत्रावली

19.12.11

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव